वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग – 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/Road/43587/2019

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	धरमजयगढ़ वनमण्डल के परिक्षेत्र बोरो, कापू एवं धरमजयगढ़, जिला– रायगढ़
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टयर)	10.465 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	**धरमजयगढ़ वनमंडल – 10.465 हे.** आरक्षित वनभूमि 4.483 हे. संरक्षित वनभूमि 1.15 हे. राजस्व वनभूमि 4.832 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 –0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰,एफ॰ एफ॰ आर॰ एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 1970 नग वृक्ष एवं 27 नग बांस भिर्रा। वृक्ष गणना प्रतिवेदन गोलाईवार संलग्न है।
(viii)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	नहीं।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित धरमजयगढ़ से कापू सड़क राजस्व भूमि के अलावा वनभूमि की विभिन्न कक्ष क्रमांक के भीतर गुजर के जा रहा है।

(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	उक्त धरमजयगढ़ से कापू सड़क चिन्हित किया गया है वह क्षेत्र लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र में आता है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	हां न्यूनतम आवश्यकता जमीन मांग किया गया है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं हैं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या,प्रत्येक हिस्से का आकार।	धरमजयगढ़ से कापू सड़क में प्रभावित वनभूमि के बदले छाल नारंगी वनखण्ड कुधरीखार ख.नं.36/1 में 16.699 हे. एवं नारंगी वनखण्ड सिथरा ख.नं. 69/1 में रकबा 6.538 हे. क्षेत्र का चयन किया गया है जिस कारण वनेत्तर क्षेत्र का मानचित्र की आवश्यकता नहीं है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित	प्रस्तावित CA क्षेत्र वनभूमि में होने के कारण

	वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	20420373/–
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित स्थल पर दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है तथा सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। तथा आवेदक संस्थान द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला – रायगढ़
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6527.440 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन – 768.571 वर्ग किलो मीटर संरक्षित वन – 286.872 वर्ग किलो मीटर असीमांकित वन – 657.976 वर्ग किलो मीटर कुल वनक्षेत्र – 1713.419 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	8 प्रकरण रकबा 419.433 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	50.000 हेक्टेयर

(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.000 हेक्टेयर
(v)	वर्ष 2019 – 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	1917.627 हे.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	आम नागरिकों एवं अन्य सभी को आवागमन सुविधा हो इसको ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य की अनुशंसा निम्न शर्तो पर की जाती है :– 1. जहां मिट्‌टी क्षरण की संभवना है वहां संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार आवेदक संस्थान द्वारा रिटेनिंग वाल (Retaininig Wall) बनाया जावे। 2. चूंकि उक्त सड़क लेमरू हाथी रिजर्व के अन्तर्गत आता है। वन्य हाथी एवं अन्य वन्य प्राणी द्वारा सड़क को पार करने में सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सड़क का Embankment को संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी के निर्देशानुसार बनाया जावे।

स्थान : धरमजयगढ़

दिनांक : 15/3/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल